| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 15.06.2023 | **वाद संख्या–19 / 2023**<br><br>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह, जिला–बोकारो उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।<br><br>आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को सम्बन्धित दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें भेजे गये दस्तावेज के विरूद्ध उन्होंने अपना पक्ष आयोग को वाट्सएप्प के माध्यम से भेजा है। आज Telephonic conference के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने माह दिसम्बर एवं जनवरी में अनाज वितरित किये जाने का जो प्रमाण भेजा है, वह स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता को पूर्व में जो जानकारी दी गई, उसके अनुसार गोदाम से अनाज PDS दुकानदारों को उपलब्ध कराया ही नहीं गया है। अनाज उपलब्ध नहीं कराने के बावजूद अनाज का वितरण किये जाने का प्रमाण एक षडयंत्र का हिस्सा शिकायतकर्ता बता रहे हैं। शिकायतकर्ता के आरोपों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेज NIC के वेबसाईट से प्राप्त किये हैं।<br><br>आयोग ने दोनों पक्षों के आरोप–प्रत्यारोप के मद्देनजर शिकायतकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश दिया कि वे दिनांक–22.06.2023 को नावाडीह अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर अपने–अपने पक्ष से सम्बन्धित दस्तावेज तैयार करें। शिकायतकर्ता के आपत्ति आवेदन को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को प्रेषित करने का भी निदेश कार्यालय को दिया जाता है एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को आपत्ति आवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं पर अपना पक्ष समर्पित करने का निदेश देता है। आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतकर्ता से बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग कराएँ एवं आयोग को रिकॉर्डिंग भेजें। आयोग उस रिकॉर्डिंग को देख कर अगली सुनवाई में अपना आदेश पारित करेगा।<br><br>सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–10.07.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–10.07.2023 को रखें।<br><br>19.6.23<br>(शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>19/6/23<br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx76 | |